न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–84/2017 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रोशनलाल पुत्र श्री मंशाराम जाति बलाई,
2. प्रेमचन्द पुत्र श्री रमलाराम जाति बलाई,
3. रतनलाल पुत्र श्री लल्लूराम जाति बलाई,
4. मंगल पुत्र श्री लल्लूराम जाति बलाई,
5. रामस्वरूप पुत्र श्री मोहन जाति बलाई निवासीयान ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. आसिया स्त्री मजीद जाति मुसलमान,
2. अख्तरी स्त्री मुस्ताक जाति मुसलमान,
3. तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0 बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

..... असल रेस्पो0

4. पूरणमल पुत्र श्री नानगराम जाति बलाई,
5. अमर पुत्र श्री नानगराम जाति बलाई,
6. किशनलाल पुत्र श्री नानगराम जाति बलाई,
7. धनसिंह पुत्र श्री नानगराम जाति बलाई,

..... तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री सचिन खत्री, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमेश चन्द कौशिक अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.09.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 953, 954 कुल किता 2 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, मौके की शक्ल तब्दील न करें तथा मौके की यथास्थित बनाये रखें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया लेकिन प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ । पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी ने विवादित

आराजी की पैमाईश करकाने की इस्तदुआ की और कहा कि बाद पैमाईश हम अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेगें तथा जो पैमाईश होगी वह हमें मान्य है । विद्धान तहत न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में बहस सुनकर दि0 20.06.2016 को वादीगण का वाद आंशिक डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 20.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय का क्या निर्णय है का अवलोकन कराया जिसमें कौन उपस्थित है तथा अंतिम निर्णय व डिक्री क्या है । तहत न्यायालय में यदि राजीनामा नहीं है तो क्या वादी का पति कैम्प में जाकर सहमति दे सकता है । क्या तहत न्यायालय का निर्णय अनुमति योग्य है । तहत न्यायालय ने वादी की रीलीफ के खिलाफ गलत निर्णय पारित किया है जबकि प्रतिवाद/अपीलांट तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं था तथा पैमाइश की कोई रीलीफ नहीं मांगी गयी है । तहत न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी, आदेशिका का अवलोकन कराया । तलबी के बाद तहत न्यायालय ने बिना सुनवाई किये गलत निर्णय पारित किया है । तहत न्यायालय ने अपीलांट को लोक अदालत का कोई नोटिस नहीं दिया । आसिया के पति आये थे तथा अपीलांट की तामील नहीं हुई है । वादी का तहत न्यायालय में निवेदन था कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि आराजी ख0 नं0 953, 954 में कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें । आदेश 2 नियम 2 में कानूनन जिस रीलीफ को छोड़ चुके तो पैमाईश की रीलीफ कैसे ले सकते हैं । कब्जा वादी का नहीं था तो पैमाईश का आदेश करवा लिया । तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन कराया जिसमें अवैद्य कब्जा किया हुआ माना है । यह दखलयाबी का दावा नहीं है । डिक्री की कोई एक्जीक्यूशन नहीं है तथा क्या सीधे तौर पर कब्जा हटा सकते हैं । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है । अपीलांट की अपील हो चुकी है । प्रकरण की जानकारी अपीलांट को थी । कैम्प कोर्ट में अपीलांट की तलबी हुई है । रोशनलाल की लड़की को तामील हुई है । निर्णय दि0 20.06.2016 का है तथा जानकारी दि0 4.10.2017 को बता रहे हैं । विवादित आराजी की दि0 7.7.2017 को नपाई हुई है उसमें अपीलांट रोशनलाल हाजिर था । ख0 नं0 953 व 954 का दावा था जिसमें रेस्पो0 खातेदार काश्तकार है जिसकी जमाबन्दी पेश की है । अपीलांट अपील में कब्जा मानकर आये हैं तथा 60 वर्ष से कब्जा एडवर्श पजेशन का मानते हैं । ख0 नं0 951 व 952 पर अपीलांट ने कूड़ी पटक रखी है, रास्ते पर है तथा उसकी आड़ में रेस्पो0 के ख0 नं0 953 व 954 पर अतिक्रमण करते हैं । राजस्व कैम्पों की भावना थी कि ऐसे मामले को कैम्पों में निपटाये । अपीलांट को नोटिस जारी किये किन्तु अपीलांट उपस्थित नहीं हुए । नपाई में ख0 नं0 953 को 952 के लगते हुए है । कूड़ी को हटाने के लिए कहां है । दावे के निर्णय से अपीलांट को क्या नुकसान है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय उचित है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 का अवलोकन किया ।

अपील के मुख्य बिन्दू तथा उनका विवेचन ये है कि वाद वादी में जो रीलीफ चाही गयी थी कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादी की आराजी में

मजाहमत व दखलंनदाजी नहीं करें, जो पैमाईश की गयी है और उस आधार पर प्रतिवादी का जो कब्जा पाया गया है, उसमें भी वादी के उपयोग, उपभोग में व्यवधान ना करें ।

द्वितीय मुख्य बिन्दु ये है कि प्रकरण कैम्प कोर्ट में पेश हुआ था जहां पर अपीलांट की तलबी नहीं हुई तथा वादी स्वयं न पहूंचकर पति पहुंचा जिसने न्यायालय को जो कहा वह न्यायालय ने कर दिया कि पैमाईश के आदेश के बाद जैसी स्थिति होगी, उसे अनुसार कब्जा काश्त होगा ।

तृतीय बिन्दु गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया है तथा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी । न तो तनकीयात कायम की गयी और न ही साक्ष्य ली गयी तथा ना ही उभयपक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया है ।

चतुर्थ बिन्दु ये भी है कि रीलीफ जो चाही है उससे हटकर वह आदेश दिये हैं जिसकी पालना भी पैमाईश के बाद होती है ।

अतः उक्त तीनों बिन्दुओं की विवेचना के आधार पर यह पाया जाता है कि तहत न्यायालय ने सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का मौका दिये बिना तथा रीलीफ से बाहर जाकर दिये गये आदेश के आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है ।

जहां तक मियाद के बिन्दु के प्रश्न पर सुनवाई का प्रश्न है । प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित होना है तथा प्रार्थना पत्र में जो कारण डिले के दिये हैं वो स्वीकार योग्य है । अतः डिले कन्डोन की अनुमति दी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 20.06.2016 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देवें तथा आवश्यक हो तो मौका कमिश्नर नियुक्त करें या पैमाईश करावें तदुपरान्त उस पर सुनवाई करके गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर